

By e-mail

"अति प्राथमिक"

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/2989-2995

दिनांक: 14-2-2023

1. उपनिदेशक(क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान,
2. आयुक्त,
नगर निगम
समस्त राजस्थान।

2996-3005

विषय:- डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 21514-21763 दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 1189-1202 दिनांक 23.01.2023 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि उक्त विषय में दिनांक 27.01.2023 को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें दिनांक 15.02.2023 तक डेयरी बूथों का चिन्हीकरण कर आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः इस संबंध में उपरोक्त निर्देशों की पालना में की गई कार्यवाही एवं वर्तमान प्रगति से अविलम्ब विभाग को अवगत करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 14-2-2023

क्रमांक: प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/3006-3286

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
7. उपायुक्त यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय।
10. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी